PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Fri, 09 Jun 2017, Page 13
Width: 17.41 cms, Height: 22.66 cms, a4, Ref: 37.2017-06-09.101

खाद्यान्न-दूध जीएसटी के बाद 5 फीसदी सस्ते होंगे

नई दिल्ली | एजेंसियां

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो जाने के बाद खाद्यान्न, आटा, दूध, सब्जियां और फल पांच फीसदी सस्ते हो जाएंगे।

सरकार ने अनाजों, दालों, आटा, मैदा और बेसन को जीएसटी के दायरे से दूर रखा है। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। दूध, सब्जियां, फल, पके चावल, नमक, जैविक खाद, पशु चारे, जलावन, कच्चे रेशम, ऊन, हाथ से चालित औजार भी नई परोक्ष कर व्यवस्था में शून्य दर लगेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन जींसों पर कोई जीएसटी नहीं लगने से उनमें से ज्यादातर चीजें अपने वर्तमान दामों की तुलना में करीब चार-पांच फीसदी सस्ती हो जाने की संभावना है। हालांकि ब्रांड वाले खाद्यान्नों एवं पंजीकृत ट्रेडमार्क वाले आटे पर जीएसटी के तहत पांच फीसदी कर लगेगा।

जीएसटी कर के ऊपर कर के प्रभाव को समाप्त करेगा और इससे जरूरी उपभोक्ता सामान के दाम घटेंगे, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। सांसदों और विधायकों को जीएसटी का समर्थन करना चाहिए। **-अरुण जेटली,** वित्त मंत्री